झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2021
[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तर (72वें) वर्ष में झारखंड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -**

(1) यह अधिनियम झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-5(1) की अनुसूची- I भाग-'ग' के क्रमांक-3 (क) में अंकित शब्द समूह जी.एस.टी. रहित क्रयमूल्य तथा क्रम संख्या 5 एवं 6 में अंकित शब्द समूह "जी.एस.टी. रहित क्रयमूल्य" के स्थान पर शब्द समूह "Ex-Showroom Price" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उप धारा (1) अनुसूची-I भाग-'क' के खण्ड-'अ' के कालम-4, 5 एवं 6 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

खण्ड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			दो पहिया मोटरवाहन	व्यक्तिगत चार पहिया मोटरवाहन (2 से 12 बैठान क्षमता तक)
1	2	3	4	5
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र	(i) एक लाख रूपये तक के Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 7% की दर से। (ii) एक लाख रूपये से उपर तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से।	(i) सात लाख रूपये तक के Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 7% की दर से। (ii) सात लाख रूपये से उपर तक Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से।

4. **झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा (7) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा -**

"ट्रैक्टर के Ex-Showroom Price का 4% (चार प्रतिशत) एकमुश्त पथकर 15 वर्षों के लिए देय होगा।

परन्तु यह कि ट्रैक्टर के ट्रेलर के निबंधन के समय ट्रेलर से 5,000/- (पाँच हजार) रूपये एकमुश्त पथकर 15 वर्षों के लिये देय होगा।

परन्तु यह और कि पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर एवं इसके ट्रेलर का एकमुश्त पथकर पूर्व में भुगतान किये गये कर का सामंजन करते हुए उदग्रहित किया जाएगा।"

यह विधेयक झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक- 23 मार्च, 2021 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक - 23 मार्च, 2021 को सभा द्वारा पारित हुआ |

यह एक धन विधेयक है |

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष |

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 6—50—6-4-2021